मेरठ विकास प्राधिकरण

की

99 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 26—04—2013

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 99वीं बैठक दिनांक 26–04–2013 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 99वीं बैठक कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ का सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 26–04–2013 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1.	श्री नवदीप रिणवा,	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष।
2.	श्री नवदीप रिणवा,	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य।
3.	श्री डी0सी0 गुप्ता,	सहयुक्त निदेशक, (प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ) सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ	सदस्य।
4.	श्री पारस नाथ सिंह,	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, (वित्त विभाग के प्रतिनिधि), मेरठ।	सदस्य।
5.	श्री एस0के0 अग्रवाल,	अधीक्षण अभियन्ता, (प्रतिनिधि आवास आयुक्त) मेरठ जोन, मेरठ।	सदस्य।
6.	श्री के0बी0वार्ष्णेय,	मुख्य अभियन्ता (प्रतिनिधि–नगर आयुक्त), नगर निगम, मेरठ।	सदस्य।
7.	श्री एस0के0 दुबे,	अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, मेरठ।	सदस्य।
8.	डा0 आभा गुप्ता,	संयुक्त निदेशक उद्योग, जिला उद्योग, मेरठ।	सदस्य।
9.	श्री पी0के0गोयल,	उप महा प्रबन्धक, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य।

10. श्री मनोज कुमार,	सह वास्तु नियोजक, (प्रतिनिधि–आयुक्त,एन0सी0आर0) गाजियाबाद।	सदस्य।
11. डा0 राजेश सिंह,	शासन द्वारा नामित सदस्य, दयानन्द नर्सिंग होम, बेगमपुल, मेरठ।	सदस्य।
12. श्री परमिन्दर इसू,	शासन द्वारा नामित सदस्य, 32, सोतीगंज, गुरूद्वारा रोड़, मेरठ।	सदस्य।
13. श्रीमती इरशाद जहाँ,	शासन द्वारा नामित सदस्य, मकबरा डिग्गी, पब्लिक गर्ल्स स्कूल, मेरठ।	सदस्य।
14. श्री राजेश कुमार,	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक।

प्राधिकरण की 98 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–12–2012 के कार्यवृत्त की पुष्टिः–

प्राधिकरण की 98वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–12–2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 18–02–2008 की अनुपालन आख्या–

मद संख्या : 2

माननीय बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि अगली बोर्ड बैठक से पहले सार्थक कार्यवाही करे अन्यथा जोनल अधिकारी, जोन–ए चार्जशीट करते हुए विभागीय होगी।

प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 30–04–2008 की अनुपालन आख्या–

मद संख्या : 8

माननीय बोर्ड द्वारा अवैध विवाह मण्डप एवं कालोनियों के विषय में अगली बोर्ड बैठक से पूर्व सार्थक कार्यवाही की जाये अन्यथा जोनल ऑफिसर्स के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

प्राधिकरण की 96वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19–12–2011 में प्रस्तुत प्रस्ताव–

मद सं0 : 20, 21, 22

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा नगर निगम को यह निर्देश दिये गये कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा कालोनियों के हस्तान्तरण के समय जिन कार्यो के लिये जो धनराशि दी गयी है, वह उस ही कार्य पर व्यय की जाय तथा कराये गये कार्यो का सत्यापन मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से कराया जाये।

प्राधिकरण की 97वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 25–04–2012 की अनुपालन आख्या–

मद सं0 1

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि इन कालोलियों के विकास कार्य पूर्ण करके हस्तान्तरण की कार्यवाही की जाये।

अनुपूरक प्रस्ताव–97वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 25–04–2012

अनुपूरक मद सं0 1

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि मेरठ विस्तारित क्षेत्र, दौराला पर अगले 3 माह में कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये अन्यथा मुख्य नगर नियोजक उत्तरदायी होंगे।

प्राधिकरण की 98वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–12–2012 में प्रस्तुत प्रस्ताव–

मद सं0 : 02

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 : 3

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 : 4

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

मद सं0 : 5

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

0 6

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा शासन में प्रकरण में प्रभारी पैरवी करने के निर्देश दिये गये।

मद सं0 : 8

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

प्राधिकरण की 98वीं बोर्ड बैठक दिनांक 17–12–2012 में प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव–

अनुपूरक मद सं0 1

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

अनुपूरक मद सं0 2

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

अनुपूरक मद सं0 3

मा0 बोर्ड द्वारा जाँच शीघ्र पूर्ण कर उत्तदायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये गये।

अनुपूरक मद सं0 4

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा शासन को प्रस्ताव भेजे जाने के निर्देश दिये गये।

अनुपूरक मद सं0 5

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी

98वीं बोर्ड बैठक में अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश पर अनुपालन–

मा0 बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। बैठक में जोनल अधिकारी जोन–डी द्वारा अवगत कराया गया कि मवाना रोड़ पर स्थित अवैध कालोनी का ध्वस्तीकरण दिनांक 26–04–2013 को कर दिया गया तथा शेष अवैध कालोनियों का ध्वस्तीकरण पुलिस बल मिलने पर किया जायेगा। इस बिन्दु मा0 बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि पुलिस बल की व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी, मेरठ के संज्ञान में लाकर व्यवस्था करा ले तथा शिथिलता किये जाने पर जोनल अधिकारी, नोडल अधिकारी तथा क्षेत्रीय अवर अभियन्ताओं के उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाये। कालोनियों

के तलपट मानचित्र स्वीकृति के बिन्दु पर नगर निगम के प्रतिनिधि द्वारा मा0 बोर्ड के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि कालोनी स्वीकृति से पूर्व नगर निगम की अनापत्ति ली जाये। प्राधिकरण द्वारा कालोनी स्वीकृत कर दी जाती है जिससे बिल्डर द्वारा फ्लैट निर्मित करने एवं उनमें परिवार के आबाद होने पर नगर निगम पर उन्हें पानी आदि की व्यवस्था करने का अतिरिक्त भार आ जाता है। इस बिन्दु पर मुख्य नगर नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया कि महायोजना में अनुमन्य युनिट निर्मित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्राधिकरण की 99वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–04–2013 में प्रस्तुत प्रस्ताव–

मद सं0 : 01

वित्तीय वर्ष 2012–13 का पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 का प्रस्तावित बजट प्रस्ताव।

माननीय बोर्ड द्वारा इस निर्देश के साथ बजट स्वीकृत किया कि जो कालोनिया नगर निगम को हस्तान्तरंरित की जा चुकी है उनमें एस0टी0पी0 के संचालन पर आने वाले व्यय–भार हेतु सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, मे0वि0प्रा0, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, मेरठ तथा अधीक्षण अभियन्ता, जलकल विभाग की एक समिति बनायी जाती है। समिति एस0टी0पी0 पर आने वाली व्यय–भार के सम्बन्ध में 3 माह के अन्दर रिपोर्ट देगी।

मा0 बोर्ड द्वारा तीन माह की अवधि के लिये एस0टी0पी0 के संचालन पर आने वाला व्यय–भार की समानुपातिक रूप से स्वीकृति प्रदान की।

मद सं0 02

मेरठ विकास प्राधिकरण की लोहियानगर योजना के पॉकेट डी में अन्धे बच्चों की शिक्षण संस्था के संचालन हेतु आरक्षित शैक्षिक भूखण्ड एन0एस0 क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर के आवंटन हेतु प्रस्ताव।

माननीय बोर्ड द्वारा विगत प्रस्ताव का परीक्षण कर पुनः विज्ञापन की कार्यवाही किये जाने तथा 3 माह के अन्दर शासनादेश के अनुक्रम में कार्यवाही कर लिये जाने के निर्देश दिये गये।

मद सं0 : 03

मेरठ विकास प्राधिकरण की लोहियानगर आवासीय योजना के पॉकेट एफ में आवंटित कैंची उद्योग के विभिन्न श्रेणी के 10 भूखण्ड जो तालाब एवं बाउन्ड्रीवाल से प्रभावित हैं, के उपलब्ध भूखण्डों में समायोजन/परिवर्तन का प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त लाटरी पद्धति से भूखण्डों के समायोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद सं0 : 04

मेरठ विकास प्राधिकरण की लोहियानगर योजना, पॉकेट एफ में कैंची उद्योग की स्थापना हेतु भूखण्डों के आवंटन के लिये कराये गये पंजीकरण के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये कि कैंची उद्योग की स्थापना हेतु जिन आवंटियों द्वारा कब्जा ले लिया गया है किन्तु स्थल पर उद्योग संचालित नहीं किया है तथा जिन आवंटियों द्वारा अभी तक कब्जा नहीं लिया गया है, को 2 माह की अवधि का नोटिस दे दिया जाये। यदि वें 2 माह के अन्दर कब्जा लेकर, निर्माण नहीं करते है तो भूखण्डों का आवंटन निरस्त कर दिया जाये। महाप्रबन्धक उद्योग से प्राप्त कैंची उद्योग के पात्र 197 आवेदकों के मध्य लाटरी के बिन्दु पर मा0 बोर्ड के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। आवंटन की शर्तो में शिथिलता, आरक्षित दर व दण्ड ब्याज के बिन्दु पर सचिव की अध्यक्षता में वित्त नियन्त्रक एवं संयुक्त सचिव की एक समिति बनाने के निर्देश दिये। समिति इस बिन्दु पर अपनी रिपोर्ट उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी। यह प्रक्रिया एक माह में पूरी कर ली जाये।

मा0 बोर्ड द्वारा संयुक्त निदेशक–उद्योग को यह भी निर्देश दिये गये कि वें कैंची कलस्टर के आवंटी द्वारा लोहियानगर योजना में आवंटित भूखण्ड पर उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट देंगी।

मद सं0 : 05

मेरठ विकास प्राधिकरण, में दैनिक वेतन/वक्रचार्ज पर कार्यरत ऐसे 352 कर्मचारी, जिन्हें शासनादेश संख्या 01/आठ–6–11–124/ई./10 दिनांक 04–01–11 के अन्तर्गत स्वीकृत अधिसंख्य पदो पर दिनांक 07–01–11 को विनियमित किया गया, उन्हें दिनांक 01–01–06 से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, की भॉति एरियर का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने एवं वित्त नियन्त्रक प्रभावी पैरवी करके स्वीकृति प्राप्त करेंगे, के निर्देश दिये गये।

मद सं0 : 06

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं जिनकी विकास सेवाएं नगर निगम को हस्तान्तरित नही हुई है, में आवंटियों से अनुरक्षण शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की निम्नानुसार तालिका में उल्लिखित अनुरक्षण की दर रूपये 2.40 प्रति वर्ग मीटर के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी –

क्र0 सं0	अनुरक्षण कार्य की मद	शासनदेश द्वारा निर्धारित प्रतिशत	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की दर(₹ प्रति वर्गमी0 प्रतिमाह)
1	सड़क तथा पार्क	20	0.48
2	सीवर	10	0.24
3	जलापूर्ति	30	0.72
4	स्वीमिंग एवं नालों की सफाई	20	0.48
5	मार्ग प्रकाश	20	0.48
	योग	100	2.40

मद सं0 : 07

मेरठ विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

शासन द्वारा नीति अन्तिम होने पर मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर संस्तुति सहित आख्या देने के निर्देश दिये गये।

मद सं0 : 08

वाह्य विकास शुल्क की बढोत्तरी के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड द्वारा वाह्य विकास शुल्क बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में विचार विमर्श उपरान्त वाह्य विकास शुल्क की दर ग्रास क्षेत्रफल पर रूपये 750/- प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गयी तथा औद्योगिक इकारियों के लिये बाहय् विकास की दर कवर्ड क्षेत्रफल पर रूपये 500/- प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गयी।

मद सं0 : 09

उपाध्यक्ष, सचिव व अन्य अधिकारियों के आवासों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त उपाध्यक्ष के लिये 2000 वर्ग मीटर एवं सचिव के लिये 1000 वर्ग मीटर पृथक-पृथक इन्डिपेंडेंट आवास तथा शेष अधिकारियों के लिये फ्लैट निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। .

मद सं0 : 10

प्राधिकरण की विशेष अनुमति से मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 बोर्ड के इस निर्देश के साथ कि धर्म-काँटा एवं पट्रोल डीजल पम्प के स्थल नेश्नल हाई-वे पर है। समिति यह देख ले कि पार्किंग की समुचित व्यवस्था है, का मानचित्र अनुमन्य किया गया तथा कोल्ड स्टोरेंज का मानचित्र अस्वीकृत किया गया।

प्राधिकरण की 99वीं बोर्ड बैठक दिनांक 26–04–2013 में प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव–

अनुपूरक मद सं0 : 01

पल्लवपुरम योजना फेस–द्वितीय एवं गंगानगर योजनाओं में थानों की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

मा0 बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया।

बैठक के अन्त में मा0 बोर्ड द्वारा बागपत रोड़ पर स्थित सार्थक सिटी का मानचित्र एवं रोहटा रोड़ पर स्थित क्रिस्टल वेंकट हाल के के मानचित्र की जाँच किये जाने के निर्देश दिये गये। मुख्य अभियन्ता, नगर निगम की मलवा शुल्क हस्तान्तरण की माँग के बिन्दु पर प्राधिकरण बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य डा0 राजेश सिंह द्वारा यह तथ्य मा0 अध्यक्ष के रखा कि मेरठ विकास प्राधिकरण की नगर निगम, मेरठ पर जो धनराशि शेष है, वह भी दिखवा लिया जाये।

अन्त में मा0 अध्यक्ष महोदय एवं बोर्ड के मा0 सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

(राजेश कुमार)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(नवदीप रिणवा)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

10.5.2013

(मृत्युन्जय कुमार नारायण)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।